संख्या: 74/2026/569/कृशिअ-67-1002(003)/4/2026
C.No.2032299

प्रेषक,

विनोद कुमार वर्मा,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ ।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग **लखनऊ:दिनांक 03 अगस्त, 2026**

विषय: सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ परिसर में स्थापित विद्युत उपकेन्द्रों, महाविद्यालयों, छात्रावासों, निदेशालयों, शोध केन्द्रों, आवासीय परिसर एवं अन्य स्थानों पर विद्युत कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के पत्रांक:सवप/2026/वि0नि0/584, दिनांक 04.07.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ परिसर में स्थापित विद्युत उपकेन्द्रों, महाविद्यालयों, छात्रावासों, निदेशालयों, शोध केन्द्रों, आवासीय परिसर एवं अन्य स्थानों पर विद्युत कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित रिपोर्ट के मद डी-15 एवं डी-16 (ट्रांसफार्मर रिवाईडिंग एवं रिपेयर) हेतु पी0एफ0ए0डी0 से दरों के संबंध में परीक्षण पर पुनर्विचार कराने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या:58/2026/569/कृशिअ-67-1002(003)/4/2026, दिनांक 31.03.2026 द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ परिसर में स्थापित विद्युत उपकेन्द्रों, महाविद्यालयों, छात्रावासों, निदेशालयों, शोध केन्द्रों, आवासीय परिसर एवं अन्य स्थानों पर विद्युत कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था- यू0पी0 राज्य कंसट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि0 (यूपीसिडको) द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन लागत रू0 750.11 लाख के सापेक्ष पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 697.33 लाख (जी0एस0टी0 सहित) के दृष्टिगत परियोजना हेतु धनराशि रू0 697.33 लाख (रूपये छह करोड़ सतानवे लाख तैंतीस हजार मात्र) (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में एकमुश्त बजट व्यवस्था हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 2500.00 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 289.00 लाख (रूपये दो करोड़ नवासी लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ परिसर में स्थापित विद्युत उपकेन्द्रों, महाविद्यालयों, छात्रावासों, निदेशालयों, शोध केन्द्रों, आवासीय परिसर एवं अन्य स्थानों पर विद्युत कार्य हेतु आगणन धनराशि रू0 750.11 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा ट्रांसफार्मर रिवाईडिंग एवं रिपेयर मद सहित रू0 718.63 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की पुन: आंकलित धनराशि के क्रम परियोजना हेतु रू0 718.63 लाख संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. प्रश्नगत परियोजना में शासनादेश संख्या:58/2026/569/कृशिअ-67-1002(003)/4/2026, दिनांक 31.03.2026 में अंकित शर्तों / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रायोजनान्तर्गत कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन की तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाये एवं उसके अनुरूप ही निर्माण कार्य कराया जाये।
3. प्रायोजना की आंकलित लागत में पुराने उपकरणों की ह्रासित मूल्य हेतु रू0 38.00 लाख घटाये गये हैं। यद्यपि इसे यथावत मानते हुए लागत का आंकलन प्रभाग द्वारा किया गया है, परन्तु इसका आंकलन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

वास्तविकता के आधार पर करते हुए प्रायोजना लागत में समाहित किये जाने का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय / कार्यदायी संस्था का होगा।

4. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 का यथा आवश्यकतानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।
5. प्रायोजनान्तर्गत विश्वविद्यालय / कार्यदायी संस्था, तकनीकी स्वीकृति के समय यह सुनिश्चित कर लेगें कि मार्ग की प्रस्तावित कस्ट डिजाइन एवं कस्ट कम्पोजीशन आई०आर०सी०/ लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुरूप है।
6. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कन्टीजेन्सी मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
7. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। विश्वविद्यालय का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित कराये।
8. प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट व स्टील, इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक / मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/ दस-2022 दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के शासनादेश सं0-5/2021/File No 65-2013/2/2019-2 दिनांक 15.01.2021 के अनुपालन के कम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैषी / बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in india, 2021" दिये गये प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय / कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
10. विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
11. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था / विश्वविद्यालय का होगा।
12. प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।
13. प्रायोजना में प्राविधानों को यथावत मानते हुये किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि प्रशासकीय विभाग (शासन) के सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
14. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
15. प्रश्नगत कार्यों की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासन के अन्य आदेशों/निर्देशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।
16. यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

17. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

18. प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

19. परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

20. परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों हेतु सेन्टेज का भुगतान वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75,दिनांक 17मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार अनुमन्य होगा।

22. प्रायोजना की स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है, तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं विश्वविद्यालय के कुलपति/वित्त नियंत्रक का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

23. स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किये जाने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

24. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

25. स्वीकृत धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिससे ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।

26. प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

27. प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेगें कि इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

28. धनराशि कोषाकार से आहरित करके प्रबन्ध परिषद के पूर्वानुमोदन से व्यय की जायेगी तथा किसी भी मद में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन नहीं किया जायेगा/किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

29. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि / चार्जेस नहीं दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर विश्वविद्यालय द्वारा कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

30. विश्वविद्यालय के लेखों का परीक्षण भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किया जायेगा।

31. अनुदान के देयक, जो कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति और वित्त नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होंगे। इस देयक पर संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर और संबंधित कोषाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।

32. सम्बंधित कुलपति/वित्त नियंत्रक अनुदान की धनराशि का आहरण करने के उपरान्त तथा प्रपत्र बी.एम. में मासिक सूचना उपकार/शासन को उपलब्ध करायेंगे।

33. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

भवदीय,
विनोद कुमार वर्मा,
अनुसचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, लखनऊ/ प्रयागराज।
(3) जिलाधिकारी, मेरठ/ कोषाधिकारी, मेरठ ।
(4) वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
(5) वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।
(6) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 राज्य कंस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि0 (यूपीसिडको)।
(7) सचिव, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1 ।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार वर्मा,
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.g

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।